मोटरवाहन (संशोधन) कानून, 2019

Mr. Lovepreet Singh
Assistant Professor, Department of Political Science,
Sanatan Dharma College Ambala Cant

राष्ट्रपति रामनाथकोविंद ने मोटरवाहन संशोधन विधेयक को 2019 मे मंजूरी दी,यह कानून सितंबर की पहली तारीख से प्रभाव में आ गयझं यातायात नियमों को तोड़ने पर बढ़ाई गयी जुर्माने की रकम के कारण ही यह कानून खासा चर्चा का विषय बना था। मोटर वाहन विधेयक,1988 कानून में संशोधन कर कठोर प्रवधानो को शामिल करने के पीछे सरकार की मंशा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, लेकिन कठोर प्रावधानों की वजह से नागरिकों से लेकर परिवहन संगठनों नेइसका विरोध किया है।

सरकार का कहना है की सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही मौतो को लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं ब्रसिलिया घोषणा 2015 पर हस्ताक्षर करता होने की वजह से भी भारत के सामने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों की संख्या को कम करने की चुनौती है।

ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है की क्या यह विधेयक भारतमें सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिंधहोगा क्या प्रावधान का कठोर हो जाना समस्याएं दूरहो जाने की प्रमाणिकत देता है दूसरी तरफ यह देखने की जरूरत है कि सरकार की मंशासड़क दुर्घटनाओं को कम करने के नाम पर लोगों से अधिक पैसे लिए जाने की तरफ ध्यान तो नही हैं।

अधिनियम की मुख्य बातें:

मोटर वाहन अधिनियम,1988 में संसद से पारित हो गया था और 1 जुलाई 1989 में यह प्रभावी

ISBN: 978-81-955611-9-3

हो गया, हालाँकि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2017 को भी लोक सभा मे पेश किया गया था यह अधिनियम लोक सभा से पास हो गयापरंतु राज्य सभा से पास नहीं हो पाया। जुलाई में तीन संशोधनों के साथ मोटर वाहन संशोधन 2019 संसद से पास हो गया।

कानून के मुताबिक केंद्र सरकार 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगो को कैशलेस उपचार मुहैया कराने केलिए योजना तैयार करेगी।'गोल्डन आवर' दुर्घटना के बाद के एक घंटे केसमय अवधि होती है जब तत्काल मैडिकल देखबाल द्वारा मृत्यु से बचाव की सम्भावना सब से अधिक होती हैं।

कानून के मुताबित हिट – रन के केस में मृत्यु की स्थिति होने पर न्यूनतम मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और गंभीर चोटों की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दियागयाहै

इस कानून में घायल एक व्यक्ति को बचाने के लिए गुड समैरिटन गाइड्लायन को भी शामिल किया गया है कानून के मुताबित यह वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा या गैर–चिकित्सा सहायता प्रदान करता है कानून में प्रावधान है कि अगर सहायता करते समय पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

ISBN: 978-81-955611-9-3

इस कानून में पर्यावरण की भी चिंता की गयी हैं कानून सरकार को इस प्रकार के मोटर वाहन को वापिस लेने का आदेश देने की अनुमति देता है जिन में कोई ऐसी खराबी हो जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा हो।

इस कानून में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है जिस का गठन केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके कर सकती है। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओ पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देंगे।

कानून के समक्ष चुनौतियां:

कुछ राज्य सरकारों ने मोटर वाहन कानून को पूर्णतः से लागू नही किया या कठोर प्रवधानो को लचीला कर भी लागू किया गया है महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमबंगाल और मध्यप्रदेश नए प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया, गुजरात ने नए कानून को लागू तो किया है परंतु कई मामलों में जुर्माने की राशि को कम कर दिया हैं इस तरीके की राज्यों द्वारा कानून को सही से न लागू कर पाने पर कानून के समक्षचुनौती बनकर आ रही हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े हुए आर्थिक दंड के प्रवधानो के करण देश में भ्रष्टाचार में हिझाफा होने की आशंका है क्योंकि कानून के उलाँघन करने पर कानूनी कार्यवाही की निष्पक्षता सवालों के घेरे में रहती हैं । इसलिए कानून को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू करना भी एक चुनौती पूर्ण काम होगा।

राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार टैक्सी चालकों को लाईसैस जारी करेगी लेकिन इससे पहले राज्य सरकारें अपने क्षेत्र अधिकार में ही टैक्सी चालकों को लाईसैस जारी किया करती थी, परंतु नए कानून आने पर राज्य सरकार इसे अपने क्षेत्रा अधिकार में केन्द्र सरकार का देखभाल मान रही हैं।

निष्कर्ष:

इसमें कोई शक नही की संशोधन का मकसद सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना हैं। हालाँकि पहले की सरकारें भी सड़क सुरक्षा के मामले में नीतिगत फैसले लेती रही हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के तहत विभिन्न नीतिगत उपायों की रूप रेखा तैयार करना इसी का एक पहलू हैं।

ISBN: 978-81-955611-9-3

बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं जानकारी मुहैया करवाने के लिए 'स्वच्छ सफर' और 'सुरक्षितयात्रा' नाम की दो कोमिक्स पुस्तकें भी जारी की हैं तथा सरकार द्वारा 'वाहन' और 'सारथी' नाम से दो मोबाइल ऐप भी जारी की गई हैं ताकि लाईसैस और वाहन पंजीकरण में होने वाली समस्या तथा भ्रष्टाचार को नियात्रित किया जा सकें।

अंत में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने राजनीतिक मंशा को छोड़कर सड़क सुरक्षा पर एकमत विचार करे और सुनिश्चित करे कि वे सड़क सुरक्षा को बढ़ाने तथा दुर्घटनाओ को कम करने के लिए कार्य करेगी। एक मत होकर कानून को लागू किये जाने पर ही इस कानून का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देगा।

संदर्भ :

1- The Hindu Newspaper Editorial "Putting accident victims at the centre of vehicle law"-

2- The Indian Express Editorial "Let's us talk Safety"-

3- Motor vehicle (Amendment) Act India 2019-

ISBN: 978-81-955611-9-3